रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1976
चैत्र 27, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1797/सत्रह-वि०-1-68-1976
लखनऊ, 16 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 को पुनः अधिनियमित और विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

चूंकि लोकहित में यह समीचीन है कि देशी शराब के सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने की विद्यमान प्रणाली को विदेशी शराब के सम्बन्ध में लाइसेंस देने के लिये आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकार करने की व्यवस्था की जाय ;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1972) को, जिसे उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवपति राय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिये गये अपने निर्णय में, जो 1972 इलाहाबाद लॉ जर्नल रिपोर्ट्स 1,000 में संप्रकाशित है, राज्य विधान मण्डल की सक्षमता के बाहर निर्णीत किया था;

और चूंकि बाद में नसिरवर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, जो आल इण्डिया रिपोर्टर, 1975, सुप्रीम कोर्ट 360 में संप्रकाशित है, उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य विधान मण्डल की विदेशी शराब रखने और बेचने का अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिये सार्वजनिक नीलाम करने के लिये उपबन्ध बनाने की शक्ति है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30,1972) को निरसित और पुनः अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972 का पुनः अधिनियमन

2—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 1972 से निरसित और निम्नलिखित परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित किया जाता है :—

(i) धारा 1 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :—

"(2) इसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रारम्भ के समय से प्रवृत्त समझा जायगा, और तद्नुसार, 26 जनवरी, 1950 के पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में, इस अधिनियम द्वारा उस अधिनियम में किए गए संशोधनों में राज्य सरकार के प्रति समस्त निर्देशों का अर्थ प्रान्तीय सरकार के प्रति निर्देश से लगाया जायगा।"

(ii) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी :—

नई धारा 24-क और 24-ख का बढ़ाया जाना

"3—मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"24-क (1)—धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का—

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये, या

(ख) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये और फुटकर बिक्री के लिये, या

(ग) थोक या फुटकर विक्रेताओं की थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिये, या

(घ) दुकानों पर (केवल भू-गृहादि के बाहर उपभोगार्थ) फुटकर बिक्री के लिए, एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस या लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई लाइसेन्स या लाइसेंसों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू-गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) जहां उसी अवधि के लिये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो वहां प्रत्येक ऐसे लाइसेंस के लिये भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायगी।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में धारा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

शंकाओं का निवारण

24-ख—शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि—

(क) राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है ;

(ख) धारा 41 के खण्ड (ग) में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिये वास्तव में किराया या प्रतिफल है ;

(ग) राज्य के आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिये कार्य करने वाला समझा जायगा" :

(iii) धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी :—

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

"3—क—मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"30—(1) इस अध्याय के अधीन लगाये जाने वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24 या धारा 24—क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय राशि या तो नीलाम द्वारा या टेंडर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से अवधारित की जा सकती है।" ;

(iv) धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी :—

धारा 41 का संशोधन

"4—क—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(ग) किसी मादक वस्तु के किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिये जिसमें धारा 24 या धारा 24—क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भंडारकरण के लिये देय फीस का माप-मान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना ;

स्पष्टीकरण—(1) विभिन्न वर्गों के लाइसेंस, परमिट, पास या भण्डारकरण के लिये, और विभिन्न क्षेत्रों के लिये इस उपखंड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है।

(2) फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति में नीलाम या टेंडर आमंत्रित करना या दोनों सम्मिलित होंगे।"

धारा 40 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 40 में—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़ दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यह समझा जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, द्वारा बनायी गई उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली, 1968, जैसा कि वह समय-समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी है, जब तक कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करे, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानों उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत् बनायी गयी हो;";

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रक्रिया विहित करना;"।

वैधकरण

4—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश संख्या 15, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानों यह अधिनियम 28 फरवरी, 1976 को प्रवृत्त हो गया था।

No. 1797(2)/XVII-V-1—68-1976

Dated Lucknow April 16, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari (Sanshodhan) (Punah Adhiniyaman Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976:

THE UTTAR PRADFSH EXCISE (AMENDMENT) (RE-ENACTMENT AND VALIDATION) ACT, 1976

(U. P. Act No. 5 of 1976)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to re-enact and validate the United Provinces Excise (Amendment) Act, 1972.

WHEREAS it is expedient in the public interest to provide for the adoption of the system of grant of licences prevailing in respect of country liquor with necessary modifications for the grant of licences in respect of foreign liquor;

AND WHEREAS the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1972 (U. P. Ordinance no. 13 of 1972), which was replaced by the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972 (U. P. Act no. 30 of 1972), was adjudicated by the High Court of Judicature at Allahabad in its judgment in Sheo Pat Rai and Others *versus* State of Uttar Pradesh and Others, reported in 1972 Allahabad Law Journal Reports, 1000, to be beyond the competency of the State Legislature;

AND WHEREAS subsequently, in the case of Nashirwar and Others *versus* State of Madhya Pradesh and Others, reported in All India Reporter, 1975 Supreme Court, 360, the Supreme Court has upheld the power of the State Legislature to make provision for holding of public auction for the grant of right or privilege to possess and sell foreign liquor;

AND WHEREAS it has become necessary to repeal and re-enact the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972 (U. P. Act no. 30 of 1972);

NOW, THEREFORE, it is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) (Re-enactment and Validation) Act, 1976.

Re-enactment of U. P. Act no. 30 of 1972.

2. The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972 is hereby, with effect from August 16, 1972, repealed and re-enacted with the following modifications :—

(i) Section 1 shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted* :—

"(2) It shall be deemed to have been in force ever since the commencement of the United Provinces Excise Act, 1910, and accordingly, all references to the State Government in the amendments made in that Act by this Act shall, in relation to the period before January 26, 1950, be construed as references to the Provincial Government.";

(ii) *for* section 3, the following section shall be *substituted* :—

Insertion of new sections 24-A and 24-B.

"3. *After* section 24 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Grant of exclusive or other privilege in respect of foreign liquor.

'24-A. (1) Subject to the provisions of section 31, the Excise Commissioner may grant to any person a licence or licences for the exclusive or other privilege,—

(*a*) of manufacturing or of supply by wholesale, or of both; or

(*b*) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both and selling by retail; or

(*c*) of selling by wholesale (to wholesale or retail vendors); or

(*d*) of selling by retail at shops (for consumption 'off' the premises only);

any foreign liquor in any locality.

(2) The grant of licence or licences under clause (*d*) of sub-section (1) in relation to any locality shall be without prejudice to the grant of licences for the retail sale of foreign liquor in the same locality in hotels and restaurants for consumption in their premises.

(3) Where more licences than one are proposed to be granted under clause (*d*) of sub-section (1) in relation to any locality for the same period, advance intimation of the proposal shall be given to the prospective applicants for every such licence.

(4) The provisions of section 25, and proviso to section 39 shall apply in relation to grant of a licence for an exclusive or other privilege under this section as they apply in respect of the grant of a licence for an exclusive privilege under section 24.

24-B. For the removal of doubts, it is hereby declared—

Removal of doubts.

(*a*) that the State Government has an exclusive right or privilege of manufacture and sale of country liquor and foreign liquor;

(*b*) that the amount described as licence fee in clause (*c*) of section 41 is in its essence the rental or consideration for the grant of such right or privilege by the State Government;

(*c*) that the Excise Commissioner as the head of the Excise Department of the State shall be deemed, while determining or realising such fee, to act for and on behalf of the State Government'."

(iii) *after* section 3, the following section shall be *inserted*:—

"3-A. *For* section 30 of the principal Act, the following section shall be be *substituted* and be deemed always to have been *substituted* namely:—

Substitution of new section for section 30.

'30. (1) Instead of or in addition to any duty leviable under the Chapter, the State Government or on its behalf the Excise Commissioner may accept payment of a sum in consideration of the grant of licence for any exclusive or other privilege under section 24 or section 24-A.

(2) The sum payable under sub-section (1) may be determined either by auction or by calling tenders or otherwise'."

(iv) *after* section 4, the following section shall be *inserted*:—

"4-A. In section 41 of the principal Act, *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely:— Amendment of section 41.

'(*c*) prescribing the scale of fees or manner of fixing the fees payable for any licence, permit or pass including any consideration for the grant of any exclusive or other privilege granted under section 24 or section 24-A or for storing of any intoxicant.

Explanation (1)—Fees may be prescribed under this sub-clause at different rates for different classes of licences, permits, passes or storage, and for different areas.

(2) The manner of fixing fee or consideration shall include auction or invitation of tenders or both'."

Amendment of section 40.

3. In section 40 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :

"Provided that the Uttar Pradesh Licensing under the Surcharge Fee System Rules, 1968 made by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, with the previous sanction of the State Government, as amended by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, from time to time, before the commencement of this Act, shall, until altered or repealed by the State Government by rules made under this section, be deemed to be and always to have been as valid and effective as if the said rules were duly made by the State Government under this section." ;

(*b*) in sub-section (2), *for* clause (*c*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*c*) prescribing the manner in which appeals or revisions shall be presented and the procedure for dealing with such appeals and revisions ;".

Validation.

4. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary, anything done or purporting to be done and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1972, before the commencement of this Act, shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) (Re-enactment and Validation) Ordinance, 1976 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 15 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if this Act had come into force on February 28, 1976.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 40 राजपत्र (हिन्दी)—1976—1397+650 (मे०)।